भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 628
(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर के लिए)

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014

628. डॉ शर्मिला सरकार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार का सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार की सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 को कब तक क्रियान्वयन करने की योजना है; और
(घ) इस दौरान सूचना प्रदाताओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग)- इस संविधि की प्रस्तावना इस प्रकार है, "किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के जानबूझकर दुरुपयोग या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग के किसी आरोप के प्रकटीकरण से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने हेतु और ऐसे प्रकटीकरण की जांच करने या जांच करवाने हेतु तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक अधिनियम।"

सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 पर लोकसभा में दिनांक 27.12.2011 को और राज्यसभा में दिनांक 21.02.2014 को चर्चा की गई थी/पारित किया गया था। इसे दिनांक 09.05.2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 17), भारत के राजपत्र में दिनांक 12 मई 2014 को प्रकाशित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान उस तारीख को लागू होंगे, जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। सरकार द्वारा इस तरह की कोई अधिसूचना इस कारण से जारी नहीं की गई है कि इस अधिनियम को लागू करने से पहले इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाले प्रकटीकरणों से बचाव पर लक्षित संशोधन अपेक्षित हैं। अधिनियम में ये संशोधन करने के लिए, सरकार ने दिनांक 11 मई 2015 को लोकसभा में सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया था, जिसे दिनांक 13 मई 2015 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यसभा को भेज दिया गया था। सोलहवीं लोकसभा के भंग होने पर अब यह विधेयक निरस्त हो गया है।

(घ)- सूचना प्रदाता संरक्षण तंत्र, वर्तमान में दिनांक 21.04.2004 के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना दाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 के रूप में विद्यमान है और केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्र सरकार द्वारा "सूचना प्रदाताओं" से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण (एजेंसी) के रूप में नामित किया गया है। आयोग को शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

*****